

19/3  
25

पत्रावली पेशा जायी व वकील जायी को  
बात-बात आवाज लगाई गई। बात-बात  
आवाज लगाने के बावजूद भी जायी  
व वकील जायी न्यायालय में दाखिल नहीं  
आयीं अतः जायी का आवेदन अन्तर्गत  
धारा 212(2) श.क. अधि. बाबत जायी  
रिक्ती अदालत जायी अदालत जैसी  
में दाखिल किया जाता है पत्रावली के लिये  
शुमान होकर नम्बर से कम होकर दाखिल  
होती है।

सपखण्ड अधिकारी, दांतरामगढ़